अत्यावश्यक
ई–मेल / स्पीड पोस्ट

पत्रांक–2प / पं०स०भ० / 09–19 / 2022 (खण्ड) / 4871 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०
निदेशक

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: 04/4/2025

विषय :– पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति / सहमति देने के संबंध में।

प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक–370 दिनाक–01.03.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति / सहमति देने के संबंध में अनुरोध किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०सं०	जिला	प्रखंड	पंचायत	मौजा	खाता सं०	खेसरा सं०	प्रस्तावित रकवा	जिला पदाधिकारी का पत्रांक / दिनांक
1.	मधेपुरा	आलमनगर	सिंहार	सिंहार	172	475	50 डी०	370 / 01.03.2025
2.	मधेपुरा	आलमनगर	ईटहरी	ईटहरी	8	892	50 डी०	370 / 01.03.2025
3.	मधेपुरा	आलमनगर	बड़गांव	चकसनौटी	81	369	50 डी०	370 / 01.03.2025
4.	मधेपुरा	आलमनगर	किशनपुर रतवारा	मुरौत	293	203	50 डी०	370 / 01.03.2025

ज्ञातव्य हो कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के बिन्दु पर मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक–281 दिनांक–08.01.2024 की कंडिका–(ii) में उल्लेखित है कि ''यदि गैरमजरूआ आम या गैरमजरूआ खास जमीन उपलब्ध न हो तो अन्य सरकारी विभागों की उन पंचायतों में उपलब्ध भूमि को चिह्नित कर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाए।''

उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–359(6) / रा० दिनांक–19.05.2014 तथा पत्रांक–82(6) / रा० दिनांक–23.01.2015 में प्रावधानित है कि राज्य सरकार के विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 03 एकड़ तक सरकारी / गैरमजरूआ आम भूमि अंतर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण के पूर्व भू–स्वामित्व रखने वाले विभाग (सरकारी विभाग) से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त समाहर्त्ता स्तर से निःशुल्क हस्तांतरण किया जा सकेगा।

कृ०पृ०उ०

यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2025 को पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति से संबंधित बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2459 दिनांक–11.02.2025 के कंडिका 2 I (g) के माध्यम से निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अन्तर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के मामले में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भूमि हस्तांतरण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए विभाग स्तर से हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ताकि संबंधित विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाएगी।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि का अंतर्विभागीय हस्तांतरण के लिए अनापत्ति/सहमति देने के बिन्दु पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/4871 पं०रा० पटना, दिनांक 04/4/2025
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/4871 पं०रा० पटना, दिनांक 04/4/2025
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/4871 पं०रा० पटना, दिनांक 04/4/2025
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)
निदेशक

ज्ञापांक– 2प/पं०स०भ०/09–19/2022 (खण्ड)/4871 पं०रा० पटना, दिनांक 04/4/2025
प्रतिलिपिः– आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा) 03/04
निदेशक

सचिव
पंचायती राज विभाग
गोपनीय कोषांग
ई–ऑफिस डायरी सं0 3797024
तिथि 6/3/25

बिहार सरकार

समाहरणालय, मधेपुरा

जिला पंचायत कार्यालय

पत्रांक–370/पं0, मधेपुरा   दिनांक–01/03/2025

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

सेवा में,

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **मधेपुरा जिलान्तर्गत आलमनगर अंचल के ग्राम पंचायत– सिंहार, ईटहरी, बड़गाँव एवं किशनपुर रतवाड़ा में बाढ़ आश्रय स्थल–सह–पशुशेड भूमि के प्रागंण में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए अंतर्विभागीय भूमि हस्तानान्तरण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः– अंचलाधिकारी, आलमनगर के पत्रांक–1688–2, दिनांक–16.12.2024 एवं पत्रांक–305–2, दिनांक–27.01.2025 तथा मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बैठक कार्यवाही ज्ञापांक–2459/पं0रा0, दिनांक–11.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विभागीय पत्रांक–281, दिनांक–08.01.2024 के आलोक में दिशा निर्देश प्राप्त है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु यदि 50 डिसमिल की उपयुक्त जमीन उपलब्ध न हो तो 30 से 50 डिसमिल (आकार न्यूनतम 130फीट x 100फीट, यानी 13,000 वर्गफीट) के बीच जमीन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

उक्त के आलोक में प्रखंड आलमनगर में कुल 04 पंचायतों में अंचलाधिकारी द्वारा निर्धारित आकार का योग्य भू–खण्ड उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में 04(चार) ग्राम पंचायत क्रमशः 1. सिंहार, 2. ईटहरी, 3. बड़गाँव एवं 4. किशनपुर रतवाड़ा में निर्मित्त बाढ़ आश्रय स्थल–सह–पशुशेड की भूमि पर उपलब्ध भू–खण्ड पर पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु प्रस्ताव एवं अभिलेख उपस्थापित किया गया है।

विदित् है कि बाढ़ग्रस्त आलमनगर अंचल में बाढ़ की स्थिति में संभावित बाढ़ आश्रय स्थल में शरण लेने के अतिरिक्त पंचायत सरकार भवन को भी बाढ़ राहत कार्य हेतु अतिरिक्त बाढ़ आश्रय केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, जो बाढ़ की स्थिति में अतिजन लाभकारी होगा।

2. मधेपुरा जिलान्तर्गत आलमनगर अंचल के ग्राम पंचायत–सिंहार, ईटहरी, बड़गाँव एवं किशनपुर रतवाड़ा में बाढ़ आश्रय स्थल–सह–पशुशेड भूमि के प्रागंण में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव/अभिलेख की विवरणी निम्नप्रकार हैः–

752

तलिका–'क'

कं0	ग्राम पंचायत का नाम	जमाबंदी रैयत	मौजा का नाम	वर्त्तमान में बाढ़ आश्रय स्थल की भूमि का विवरण				पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण			
				खाता	खेसरा	रकवा	किस्म	खाता	खेसरा	रकवा	लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंहार	बाढ़ आश्रय स्थल-सह-पशुशेड, सिंहार बिहार, सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग)	सिंहार/ 86/2	172	475	150 डी0	धनहर	172	475	50 डि0	20 रू0
02	ईटहरी	बाढ़ आश्रय स्थल-सह-पशुशेड, ईटहरी बिहार, सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग)	ईटहरी/ 85	8	892	150 डि0	भीठ	8	892	50 डि0	20 रू0
03	बड़गाँव	बाढ़ आश्रय स्थल-सह-पशुशेड, चकसनौठी बिहार, सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग)	चकसनौठी/ 78	81	369	150 डि0	भीठ	81	369	50 डि0	20 रू0
04	किशनपुर रतवारा	बाढ़ आश्रय स्थल-सह-पशुशेड मुरौत, बिहार सरकार (आपदा प्रबंधन विभाग)	मुरौत/ 70/2	24, 121, 121, 293	202, 201, 200, 203	19.7 डि0, 33 डि0, 34.5 डि0, 62.8 डि0 कुल- 150 डि0	भीठ	293	203	50 डि0	20 रू0

3. अंचलाधिकारी, आलमनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित ग्राम पंचायत अंतर्गत उक्त प्रस्तावित भू-खण्ड तालिका-'क' के अतिरिक्त बिहार सरकार खाते की विवाद रहित एवं निर्धारित आकार की उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त चारों भूमि बाढ़ आश्रय स्थल के प्रांगण में है। उक्त पंचायत पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पंचायत सरकार भवन बनने से बाढ़ के समय बाढ़ प्रभावित लोगों को आवासन में काफी सुलभता होगी। साथ ही प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में तालिका 'क' में दिये गए विवरणी से ज्ञात होता है कि बाढ़ आश्रय स्थल के प्रांगण में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है अर्थात् पंचायत सरकार भवन के निर्माण होने के बाद भी बाढ़ आश्रय स्थल के प्रागंण में अवशेष भूमि उपलब्ध रहेगी।

अतः अनुरोध है कि आलमनगर अंचल के उक्त चारों ग्राम पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल-सह-पशुशेड भूमि के प्रागंण में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए अंर्तविभागीय निःशुल्क हस्तानान्तरण की स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त प्रस्ताव/अभिलेख के आलोक में सहमति/अनुमति प्रदान करने की दिशा में आपदा प्रबंधन विभाग से समन्वय हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

1/3/25

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

751

133

अंचल कार्यालय, आलमनगर।

पत्रांक–305–2

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी ,
मधेपुरा।

आलमनगर,दिनांकः–27.01.2025

विषयः– बाढ़ आश्रय स्थल भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषयक संदर्भ में सादर कहना है कि ग्राम पंचायत किशनपुर रतवारा, इटहरी, भागीपुर एवं सिंहार में पंचायत सरकार भवन निर्माण कराये जाने के लिए, उपयुक्त बिहार सरकार की भूमि नहीं रहने कारण संबंधित पंचायत में बाढ आश्रय–सह–सामुदायिक भवन के नाम से चल रही जमाबंदी की भूमि पर जनहित के सुविधाओं को देखते हुए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराये जाने हेतू भू–हस्तांतरण प्रस्ताव विहित प्रपत्र में तैयार कर भेजी गई है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित पंचायत में बाढ़ आश्रय स्थल सह सामुदायिक भवन के नाम चल रही जमाबंदी के भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराये जाने हेतू आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

सादर............................।

विश्वासभाजन

27/1/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

ज्ञापांक–305–2/दिनांकः–27.01.2025

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

27/1/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

(750)

(132)

अंचल कार्यालय, आलमनगर

पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूहस्तांतरण अभिलेख

अंचल—आलमनगर

अभिलेख सं0—15/24-25

दिनांक—	आदेश फलक	आदेश
03.01.025	राजस्व कर्मचारी के द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण किये जाने हेतु निचे वर्णीत खाता—खेसरा एवं रकवा की भूमि का भूहस्तांतरण प्रस्ताव प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से कार्यालय को समर्पित किया गया है।	

मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी रैयत
मुरौत/70/2	293	203	50 डी0	बाढ़ आश्रय स्थल सह पशुसेड,मुरौत

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत— किशनपुर रतवारा अंतर्गत पड़ने वाले सभी राजस्व ग्रामों में बिहार सरकार खाते—खेसरे की जमीन का जाँच किया गया। बिहार सरकार खाते में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि नहीं पाया गया । भूमि है भी तो संज्ञान में आया है कि उस भूमि के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में मामला लंबित है। बिहार सरकार की भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण बाढ़ आश्रय स्थल सह पशुसेड आपदा विभाग बिहार सरकार के नाम चल रही जमाबंदी पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किये जाने हेतु भूमि का भूहस्तांतरण का प्रस्ताव के साथ अनुशंसा की जाती है। प्रस्तावित भूखंड पर आने जाने का सुगम रास्ता है।

तदद आलोक में आम सूचना निर्गत की जाय तथा अभिलेख दिनांक— 18.01.025 को उपस्थापित करें।

लेखापित/शुद्धिकृत।

3/1/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

3/01/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

18.01.025

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तामिला प्राप्त किसी भी तरह की कोई आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुई। पूर्व में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से मौखिक निर्देश प्राप्त हुई है कि बाढ़ आश्रय स्थल सह पशुशेड की भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजी जाय, जिस संदर्भ में अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अंचल कार्यालय, आलमनगर के पत्रांक— 383—2, दिनांक— 22.03.2024 के माध्यम से मार्ग दर्शन की मांग की गई है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। संलग्न राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन, अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन एवं ट्रेस मैप, प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। इन्हों ने प्रतिवेदित किया है कि

18.01.025 ग्राम पंचायत– किशनपुर रतवारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बाढ आश्रय स्थल सह पशुशेड की भूमि पर आम जनों के हित में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किये जाने हेतु भूमि का भूहस्तांतरण की जा सकती है। प्रस्तावित भूखंड पर जल जमाव नहीं होता है तथा आने जाने का सुगम रास्ता है। अधोहस्ताक्षरी का स्थल निरीक्षण हेतु तिथि – 29.1.025 .... निर्धारित करें।

अभिलेख दिनांक–29.1.025............को उपस्थापित करें।

लेखापित / शुद्धिकृत।

18/1/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

18/1/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

30.1.025 अभिलेख उपस्थातिप। राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन का जाँच व ट्रेस मैप, प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अधोहस्ताक्षरी का संयुक्त स्थलीय जाँच प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि के संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् बाढ़ आश्रय स्थल सह पशुशेड, मुरौत के मौजा मुरौत, थाना नं0– 70/2, खाता– 24, 121, 293, खेसरा– 202, 201, 200, 203, क्रमशः रकवा– 19.7, 33, 34.5, 22.8 डिसमल कुल– 150 डिसमल में से खाता– 293, खेसरा सं0– 202, रकवा– 50 डिसमल भूमि पर ग्राम पंचायत– किशनपुर रतवारा का पंचायत सरकार भवन निर्माण किये जाने हेतु भूमि का भूहस्तांतरण प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है।

अतएव राजस्व कर्मचारी का प्रस्ताव अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन ट्रेस मैप, चेक सिलीप एवं अधोहस्तक्षरी के स्थलीय जाँच के साथ अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

लेखापित / शुद्धिकृत।

30/1/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

30/1/25

अंचल अधिकारी,
आलमनगर।

748

130

अंचल कार्यालय, आलमनगर।

स्थलीय जाँच

दिनांक– 29.01.025 को अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा पंचायत राज पदाधिकारी, आलमनगर के साथ बाढ़ आश्रय स्थल सह पशुसेड, मुरौत की भूमि मौजा– मुरौत, थाना नं0 70/2 खाता 293, खेसरा 203 व अन्य से कुल रकवा–01 एकड़ 50 डीसमल में से 50 डीसमल प्रस्तावित ग्राम पंचायत– किशनपुर रतवारा के पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूखंड का स्थलीय जाँच किया गया एवं पाया गया कि निर्मित बाढ़ आश्रय स्थल के अतिरिक्त भूमि पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा सकता है।

अतएव बाढ़ आश्रय स्थल सह पशुशेड, मुरौत की भूमि पर ग्राम पंचायत– किशनपुर रतवारा का पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 50 डीसमल भूमि का भूहस्तांतरण किये जाने हेतु संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त उपरांत अनुशंसा की जाती है।

	29.01.2025	29.01.2025	29/1/25
अंचल अमीन, आलमनगर।	राजस्व कर्मचारी, आलमनगर।	पंचायत राज पदाधिकारी, आलमनगर।	अंचल अधिकारी, आलमनगर।

747

Email **Panchayati Raj Department Bihar**

let-370 related to panchayat sarkar bhawan

From : District Panchayat Raj Officer District Panchayat Raj Office-MADHEPURA <dpro-mp-bih@nic.in>

Wed, Mar 05, 2025 05:09 PM

1 attachment

Subject : let-370 related to panchayat sarkar bhawan

To : Panchayati Raj Department Bihar <secy-panchayat-bih@nic.in>

PANKAJ KUMAR GHOSH
DPRO,MADHEPURA

let-370.pdf
7 MB